16.8.18 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित. प्रार्थना पत्र 09 R7 धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया जाता है। उभयपक्ष ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूरणीय क्षति होगी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा